बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

संOसंO–भवन / 10–आरोप(बाँका)–63 / 2020.................................. / पटना, दिनांक–

:: सकारण आदेश ::

श्री विपिन कुमार सिन्हा को राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–06.09.2016 के मद संख्या–04 में लिए गये निर्णय के आलोक में भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या –8943 दिनांक–12.09.2016 द्वारा सहायक अभियंता के पद पर नियमित नियुक्ति की गयी थी। उक्त अधिसूचना में श्री सिन्हा की जन्मतिथि–17.06.1958 अंकित है, तद्नुसार श्री सिन्हा दिनांक–31.06.2018 को सेवानिवृत्त हो गये।

2. सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के बाद श्री सिन्हा द्वारा पत्रांक–शून्य दिनांक–05.07.2019 से अपनी जन्म तिथि–17.06.1959 बताते हुए जन्म तिथि में सुधार हेतु विभाग में आवेदन पत्र समर्पित किया गया। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–6882(भO) दिनांक–26.07.2019 द्वारा श्री सिन्हा की जन्म तिथि सत्यापित करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से अनुरोध किया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जन्म तिथि के सत्यापन से संबंधित तीन पत्र, पत्रांक–3538 दिनांक–27.08.2019, पत्रांक–6614 दिनांक–16.10.2019 एवं पत्रांक–8406 दिनांक–26.12.2019 विभाग को प्राप्त हुए, जिनमें श्री सिन्हा की अलग–अलग जन्म तिथि प्रतिवेदित हुए। तद्आलोक में प्रमाण–पत्रों के भौतिक सत्यापन की आवश्यकता महसूस करते हुए विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–77(भO) दिनांक–04.03.2020 द्वारा एक जाँच समिति का गठन किया गया। जाँच समिति द्वारा दिनांक–11.05.2020 को भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें यह पाया गया कि Tabulation Register में श्री सिन्हा की जन्म तिथि–17.06.1957 अंकित है एवं यह भी पाया गया कि विभाग को पूर्व में प्राप्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा निर्गत पत्र के रूप में दो पत्र पत्रांक–3538 दिनांक–27.08.2019 एवं पत्रांक–8406 दिनांक–26.12.2019 फर्जी है।

3. जन्मतिथि के संबंध में श्री विपिन कुमार सिन्हा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सीOडब्लूOजेOसीO संख्या–7137 / 2020 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के अनुपालन में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के द्वारा ज्ञापांक–एलOपीO–715 दिनांक–22.10.2020 द्वारा सकारण आदेश पारित किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि ''साक्ष्यों के अवलोकनोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि समिति कार्यालय (माध्यमिक) में संधारित अभिलेखों पर दर्ज जन्मतिथि–17.06.1957 को ही मान्य माना जाय। साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर दर्ज जन्मतिथि–17.06.1959 के दावे को अमान्य किया जाता है।''

4. उक्त के आलोक में गलत जन्म तिथि प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर विभाग में एक साल अधिक सेवा कर वेतन प्राप्त करने तथा जाली पंत्रों के द्वारा विभाग को गलत सूचना उपलब्ध कराने के आरोप के संदर्भ में श्री सिन्हा के विरूद्ध आरोप प्रपत्र–''क'' गठित करते हुए उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–83(भO) दिनांक–06.01.2021 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया।

कृOपृOउO

5. श्री सिन्हा के पत्रांक–शून्य दिनांक–25.01.2021 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये आयु प्रमाण–पत्र की प्रमाणिकता को सही साबित किया जा सके। अतएव श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों का विहित रीति से जाँच करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या–2099(भ0) दिनांक–23.03.2021 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी, जिसमें श्री सुनील चौधरी, मुख्य अभियंता (उत्तर) को संचालन पदाधिकारी एवं श्री शशिकान्त, योजना अभियंता, मुख्य अभियंता (पटना) को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

6. संचालन पदाधिकारी–सह–मुख्य अभियंता (पटना) के पत्रांक–1860(अनु0) दिनांक –03.11.2021 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में आरोपों के प्रमाणित अथवा अप्रमाणित होने संबंधी स्पष्ट मंतव्य नहीं होने के कारण विभागीय पत्रांक–2639(भ0) दिनांक–08.04.2022 द्वारा स्पष्ट जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित उपलब्ध कराने का अनुरोध संचालन पदाधिकारी से किया गया। इसी बीच श्री सुनील कुमार चौधरी, मुख्य अभियंता (उत्तर)–सह–संचालन पदाधिकारी के वार्धक्य सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उक्त विभागीय कार्यवाही को पूर्ण करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या–8151(भ0)अनु0 दिनांक–14.11.2022 द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री तारणी दास, मुख्य अभियंता (उत्तर), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री शशिकान्त, योजना अभियंता, मुख्य अभियंता (उत्तर), भवन निर्माण विभाग, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

7. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–307 दिनांक–02.02.2023 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया गया, जिसके निष्कर्ष में उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप को प्रमाणित बताते हुए उनके विरूद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी। विभागीय पत्रांक–2038 दिनांक–07.03.2023 द्वारा उक्त प्रमाणित आरोप के विरूद्ध श्री विपिन कुमार सिन्हा से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी एवं पत्रांक–2726 दिनांक–28.03.2023 द्वारा इन्हें स्मारित किया गया।

8. श्री सिन्हा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर पत्रांक–05 दिनांक–19.04.2023 के समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि उनके द्वारा अपने ऊपर लगाये गये आरोप को खंडित करने के संबंध में कोई नया तथ्य अंकित नहीं किया गया है। अतः उनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर को अस्वीकृत करते हुए, गलत जन्म तिथि प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर विभाग में एक साल अधिक सेवा कर वेतन प्राप्त करने तथा जाली पत्रों के द्वारा विभाग को गलत सूचना उपलब्ध कराने के प्रमाणित गम्भीर आरोपों के लिए श्री विपिन कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (बी) के तहत उक्त अवधि में प्राप्त वेतन की ब्याज सहित वसूली तथा तीन (03) वर्षों के लिए बीस (20%) प्रतिशत पेंशन में कटौती करने का दण्ड अधिरोपित/संसूचित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।

9. विभागीय पत्रांक–6742(भ0) दिनांक–21.08.2023 द्वारा उक्त अनुमोदित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की परामर्श/सहमति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–4695 दिनांक–19.02.2024 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त है।

कृ0पृ0उ0

D//Sanjay Singh//Sachin Jee-2024//Adhisuchna. Adesh

10. उक्त दण्ड के संदर्भ में श्री सिन्हा को विभागीय पत्रांक–1883(भ0) दिनांक–29.02.2024 द्वारा दण्ड की मात्रा पर बचाव अभिकथन समर्पित करने का निदेश दिया गया। श्री सिन्हा ने अपने पत्रांक–शून्य दिनांक–03.04.2024 द्वारा दण्ड की मात्रा पर बचाव अभिकथन समर्पित किया।

11. उक्त बचाव अभिकथन की विभाग स्तर पर समीक्षा की गयी। श्री सिन्हा द्वारा समर्पित बचाव अभिकथन एवं उनके द्वारा संलग्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश तथा सरकार द्वारा समरूप मामले में सेवानिवृत्ति के पश्चात कार्यरत रहने की अवधि में जो वेतन का भुगतान हुआ है, उसकी वसूली नहीं होगी संबंधी पूर्ववर्ती निर्णय के आलोक में श्री सिन्हा को भी एक वर्ष अधिक कार्य करने की अवधि में प्राप्त वेतन की व्याज सहित वसूली के दण्ड से मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या–6720(भ0) दिनांक–28.08.2024 द्वारा पेंशन से तीन वर्ष के लिए बीस प्रतिशत की कटौती का दण्ड अधिरोपित/संसूचित किया गया।

12. उक्त अधिरोपित दण्ड के आलोक में श्री सिन्हा द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन पत्रांक –शून्य दिनांक–06.08.2025 समर्पित किया गया। श्री सिन्हा द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में निर्धारित समय–सीमा के अंदर पुनर्विलोकन अर्जी नहीं दिया गया है एवं पुनर्विलोकन अर्जी विलम्ब से दायर करने के कारणों का भी उल्लेख नहीं किया गया है।

13. अतएव श्री विपिन कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल, बाँका, भवन निर्माण विभाग सम्प्रति सेवानिवृत्त के पुनर्विलोकन अर्जी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के आलोक में सम्यक् समीक्षोपरान्त अस्वीकृत किया जाता है।

14. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–

(शिव रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन/10–आरोप(बाँका)–63/2020....................../ पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी अपर सचिव/संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बाँका/सभी उप सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, राजपत्रित स्थापना प्रशाखा, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ0पृ0उ0

D//Sanjay Singh//Sachin Jee-2024//Adhisuchna. Adesh

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक–भवन / 10–आरोप(बाँका)–63 / 2020............ / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–श्री विपिन कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल, बाँका, भवन निर्माण विभाग सम्प्रति सेवानिवृत्त, पत्राचार का पता–C/o श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, पटना, मोहनपुर, पुनाईचक, पम्प हाऊस, शर्मा लॉज के बगल में पटना–800002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन / 10–आरोप(बाँका)–63 / 2020 9272(अ) / पटना, दिनांक– 6/10/25

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

D//Sanjay Singh//Sachin Jee-2024//Adhisuchna. Adesh

कृ0पृ0उ0